

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016] दिनांक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके हैं, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,

शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-इन आदेशों के अन्तर्गत

- (क)- वर्तमान पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31-12-2015 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।
- (ख)- "वर्तमान पेंशन" का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31-12-2015 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशनें सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख उक्त प्रस्तर-2 में किया गया है।
- (ग)- "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन शासनादेश संख्या-सा-3-657/दस-900/78, दिनांक 10-05-1978 अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-1563/दस-921/81, दिनांक 03-11-1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनांक 31-12-1995 को अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 31-12-2015 को अनुमन्य थी।

4- ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में मिल रही पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रूपये में पूर्णांकित करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

उदाहरण-1 पेंशनर-ए वेतनमान रू0 67000-79000 में अन्तिम मूल वेतन रू0 79000/- प्राप्त करते हुए दिनांक 31-05-2015 को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त होता है, उसकी पेंशन उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में रू0 39500/- निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक का उपयोग करते हुए उसकी पेंशन पुनरीक्षित होकर रू0 1,01,515/- निर्धारित होगी।

उदाहरण-2 पेंशनर-बी चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में वेतनमान रू0 3000-100-3500-125-4500 में अन्तिम मूल वेतन रू0 4000/- पाते हुए दिनांक 31-01-1989 को सेवानिवृत्त हुआ और उसकी पेंशन तत्समय रू0 1940/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उसकी पुनरीक्षित पेंशन रू0 12600/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक के आधार पर उसकी पेंशन रू0 32,382/- निर्धारित होगी।

5- पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि, यदि कोई है, भी सम्मिलित होगी। राशिकृत धनराशि को काटते हुए, जो धनराशि आयेगी, उसके अनुसार मासिक पेंशन दी जायेगी।

6- दिनांक 01-01-2016 से न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 9000/- होगी। (80 वर्ष से अधिक आयु के पेशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की उच्च सीमा राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन की क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी।

6(1)- वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार मिलना जारी रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। **उदाहरणार्थ** यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन- रू0-10,000/- (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0-2,000/- । 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , (i) मूल पेंशन- रू0-10,000/- (ii) अतिरिक्त पेंशन रू0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

6(2)- उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 01-01-2016 से स्वीकृत महँगाई राहत भी सम्मिलित है।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

7- उन मामलों में जहाँ पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- से कम आगणित होती है, तो उसे रू0 9000/- के स्तर पर उच्चिकृत कर दिया जायेगा और यह दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन होगी।

8- राजकीय पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महँगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्शेसन आदि, जो केन्द्र के समान देय रही हों, को दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य की जाये।

9- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्धारित होने वाली पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम धनराशि इस आदेश के प्रस्तर-6 में दी गयी सीमा के अनुसार होगी। जहाँ पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह से कम हो रही हो वहाँ संबंधित कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि रू0 9000/- प्रतिमाह तक बढ़ा दी जायेगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु संबंधित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। इसी प्रकार पदक भत्ते का उल्लेख भी पी0पी0ओ0 में होने के कारण पदक भत्ते का भुगतान/पुनरीक्षण में कठिनाई नहीं होगी। कोषागारों द्वारा जब संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित की जाये, तो तत्संबंधी सूचना भी पेंशनरों को उपलब्ध करा दी जाये, जिसमें पुनरीक्षित पेंशन एवं राशिकरण आदि के समायोजन का भी उल्लेख किया जाये।

10- महँगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनांक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

12- राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण संबंधित कोषागार द्वारा वित्त विभाग के स्तर से निर्गत किये गये शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा। यह व्यवस्था सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके पेंशनरों को सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है, तथा जिनका भुगतान कोषागारों के द्वारा किया जा रहा है, पर लागू होगी। इन संस्थाओं के कर्मचारियों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश किये जाने होंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-39/2016-सा-3-923(1)/दस-2016/308/16 तद्विनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>